

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक—वा०क०अधि०/यु०पी० निरस्त/ 18, दिनांक : ३१ :दिसम्बर—२०१८,

—:: आदेश ::—

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक—2488/18 दिनांक 10.12.2018 द्वारा दिनांक 03.01.19 से 05.01.19 तक के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—फैजाबाद के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ—गोरखपुर व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—३, लखनऊ की खंड पीठ गठित की गयी थी।

मुन्सरिम कार्यालय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ—गोरखपुर के पत्रांक—167/18 दिनांक 27.12.18 के साथ श्रीमती मीना श्रीवास्तव, एच०जे०एस०, न्यायिक सदस्य पीठ—गोरखपुर द्वारा शल्य चिकित्सा कराये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है, जिसके अनुसार श्रीमती मीना श्रीवास्तव, उक्त खंड पीठ में सम्मिलित होने में असमर्थ रहेंगी। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए फैजाबाद में दिनांक 03.01.19 से 05.01.19 तक के लिए गठित उक्त खंड पीठ निरस्त की जाती है।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह०—३१.१२.१८

(प्रेम कला सिंह)

एच०जे०एस०,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन – वा०क०अधि०/यु०पी० निरस्त/ २५६।/२०१८, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, गोरखपुर पीठ—गोरखपुर
- 2—सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—फैजाबाद/पीठ—३, लखनऊ।
- 3—कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4—मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्पयूटर) मुख्यालय।
- 5—सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक—वा०क०अधि०/यु०पी० संशोधन) / १८, दिनांक : ३१ दिसम्बर -2018,

—:: आदेश ::—

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-2488/18 द्वारा दिनांक 07.01.19 से 11.01.19 तक के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम व पीठ- द्वितीय, आगरा के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, आगरा व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 आगरा की खंड पीठ गठित की गयी थी।

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, आगरा की दिनांक 07.01.19 से 11.01.19 तक Indian Institute of Public Administration (IIPA) New Delhi में ट्रेनिंग का कार्यक्रम प्राप्त होने के कारण उक्त गठित खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए “न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम आगरा” के स्थान पर “न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम लखनऊ” को उक्त अवधि की खंड पीठ हेतु नामित किया जाता है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह०—31.12.18

(प्रेम कला सिंह)

एच०ज०एस०,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन – वा०क०अधि०/यु०पी० संशो०/२५६३/2018, तद्दिनांकित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, आगरा पीठ-प्रथम/पीठ-द्वितीय आगरा।
- 2—सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ।
- 3—कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4—मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5—सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा०क०अधि०/यु०पी० निरस्त / १८/१८, दिनांक : ३१ दिसम्बर-२०१८,
—:: आदेश ::-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-२४८८/१८ दिनांक १०.१२.२०१८ द्वारा दिनांक ०७.०१.१९ से ११.०१.१९ तक के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-गोरखपुर के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-गोरखपुर व सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-४, वाराणसी की खंड पीठ गठित की गयी थी।

मुन्सरिम कार्यालय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-गोरखपुर के पत्रांक-१६७/१८ दिनांक २७.१२.१८ के साथ श्रीमती मीना श्रीवास्तव, एच०ज०एस०, न्यायिक सदस्य पीठ-गोरखपुर द्वारा शल्य चिकित्सा कराये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है, जिसके अनुसार श्रीमती मीना श्रीवास्तव, उक्त खंड पीठ में समिलित होने में असमर्थ रहेंगी। अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गोरखपुर में दिनांक ०७.०१.१९ से ११.०१.१९ तक के लिए गठित उक्त खंड पीठ निरस्त की जाती है।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह०-३१.१२.१८

(प्रेम कला सिंह)

एच०ज०एस०,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा०क०अधि०/यु०पी० निरस्त/२५६२/२०१८, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, गोरखपुर पीठ-गोरखपुर
- २-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-४, वाराणसी।
- ३-कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ४-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्पयूटर) मुख्यालय।
- ५-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।